GOVERNMENT OF INDAI
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

No.90/Sec(E)PRR-1 New Delhi, dt.17-6.96

CSCs
All Indian Rlys

CSC/RPSF
Railway Board.

STANDING ORDER No.9

Sub:- Periodicity of Inspection by Superior Officers Instructions thereof.

In supersession of instructions issued earlier on the subject mentioned the following instructions are issued.

2. It is essential for the Superior Officers as well as Inspectors to tour their jurisdictions and carry out inspections as frequently as possible in order to:-

(a) ensure that the orders and instructions issued from time to time are being duly observed;

(b) acquaint themselves with the local security conditions as the crime position of their charge;

(c) see that the various records are up-to-date and are correctly maintained and that correspondence receives prompt attention and disposal;

(d) develop persondl contact with the members and improve their efficeency;

(e) study whether the existing basic security arrangements against thefts, pilferages and fire hazards are adequate;

(f) see that clothing equipments, furniture, service and residential buildings are in good order and are properly maintained.

(g) Acquaint themselves with the problems/grievances of the staff and take immediately remedianl measures.

Contd....

3. The inspecting officers shall invariavaly asertain and state whether the remarks made of the preceding inspection have received due attention. If the same have been neglected the officers of fault shall be brought to accunt.

4. The inspecting officer shall see that the inspections of officers subordinate to him have been regular, thorough, to the point, and effective, and shall record his observations in this regard in his inspection note. They will also interview officers whose work is inspected to find out their difficulties and to determine their knowledge and efficiency.

5. A complete report after each inspection and action taken thereon should be forwarded by every Inspecting Officer above the rank of Inspector to his immediate superior without delay.

6. For conducting the inspections following schedule be followed:-

CSCs/Dy.CSCs:- Between them will complete inspection of all the offices of DSCs and ASCs, RPF Trg.School and at least 50% posts once a year. They may inspect as many out-posts as possible.

DSCs/ASCs:- Between them will inspect all posts/out posts once a year.

CSCs/Dy.CSCs. DSCs will make out their programmes in such a way that the posts inspected by CSCs and DSCs in one year are inspected by Dy. CSC and ASCs next year and vice versa.

7. Asstt.Security Commissioners and Inspectors should thoroughly inspect the work of their respective subordinates once in a year and in addition carry out as many casual and surprise inspections as possible.

8. CSC/RPSF will undertake detailed inspection of all Battalion and 25% of the companies once in a year.

9. For carrying out inspection of the officers of DSCs/ASCs by the higher officers the format issued vide this office letter No.90-Sec(E)PRR/1 dt.19.6.91 shall be used (copy enclosed as Annexure I). The format of inspection may be circulated to all DSCs, ASCs and posts for further information.

Contd....

10. The CSCs should submit their tentative tours and inspection programme for the whole year by the second week of January every year. They should also submit statement of half yearly review of Tours & Inspections held by superior officers in the proforma circulated vide this office letter No. 86/Sec(E)/PRR/6 dt.17.1.90 (Copy enclosed as Annexure II). The half yearly review statement should reach this office by 10th February and 10th August every year.

Apart from half yearly review, the CSCs will furnish the details of inspections carried out by superior officers in the proforma circulated vide this office letter No.86/Sec(E)PRR/6 dt.21.4.92 (copy enclosed as Annexure III).

Kindly acknowledge receipt.

Sd/-
(Joginder Singh)
Director General/RPF.
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 90-सिक(ई)/पी आर आर/1   नई दिल्ली, दिनांक 17.6.96

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे. सु. ब.
सभी भारतीय रेलें.

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे. सु. वि. ब.
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली.

स्थायी आदेश सं. 9

विषय :- उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों की आवधिकता - संबंधित अनुदेश ।

. . . . . .

उपर्युक्त विषय पर पहले जारी अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं ।

2. उच्च अधिकारियों तथा निरीक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र का दौरा करें तथा यथासंभव बार-बार निरीक्षण करें ताकि :

क) यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय-समय पर जारी आदेशों एवं अनुदेशों का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है,

ख) अपने अधिकार क्षेत्र की अपराध स्थिति के अनुरूप स्थानीय सुरक्षा परिस्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें ।

ग) यह देख सकें कि विभिन्न रिकार्ड अद्यतन हैं तथा ठीक ढंग से रखे जाते हैं और प्राप्त पत्रों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है तथा उनका शीघ्र निपटान किया जाता है,

घ) सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सके तथा उनकी कुशलता में सुधार लाया जा सके ।

. . . . . ./-

ङ.) यह जांचा जा सके कि वर्तमान आधारभूत सुरक्षा व्यवस्थाएं चोरी, उठाईगीरी तथा अग्नि संबंधी जोखिमों के लिए पर्याप्त है,

च) यह देख सकें कि परदे आदि, फर्नीचर, सरकारी एवं आवासीय इमारतें अच्छी हालत में हैं तथा इन्हें ढंग से रखा जाता है ।

छ) कर्मचारियों की समस्याओं/शिकायतों से स्वयं को अवगत रख सकें तथा तत्काल उपचारी उपाय कर सकें ।

3. निरीक्षण अधिकारी निरपवाद रूप से पता लगाएं तथा बताएं कि क्या पूर्ववर्ती निरीक्षण पर की गई टिप्पणियों पर उचित ध्यान दिया गया है । यदि उनके प्रति लापरवाही बरती गई है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ।

4. निरीक्षण अधिकारी यह देखेगा कि उसके अधीनस्थ अधिकारियों के निरीक्षण नियमित सम्पूर्ण, प्रासंगिक तथा प्रभावी रहे हैं और इस संबंध में वह अपनी टिप्पणियां अपने निरीक्षण नोट में दर्ज करेगा । वे उन अधिकारियों का साक्षात्कार भी लेंगे, जिनके कार्य का निरीक्षण उनकी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए तथा उनकी ज्ञान एवं कुशलता निश्चित करने के लिए किया गया है ।

5. प्रत्येक निरीक्षण तथा उस पर की गई कार्रवाई के पश्चात एक सम्पूर्ण रिपोर्ट निरीक्षक के ओहदे से ऊपर के प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी द्वारा उनके आसन्न अधिकारी को बिना किसी देरी के तत्काल प्रस्तुत की जाए,

6. निरीक्षण आयोजित करने के लिए निम्नलिखित समय अनुसूची अपनायी जाए-

मु. सु. आ/उप मु. सु. आ- दोनों के बीच वर्ष में एक बार उप सु. आ. तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त के सभी कार्यालयों रे. सु. ब. प्रशिक्षण स्कूल तथा कम से कम 50% पोस्टों का निरीक्षण पूरा किया जाएगा । वे, जितना संभव हो, उतनी आउट पोस्टों का निरीक्षण करेंगे ।

उप सुरक्षा आयुक्त/सहायक सुरक्षा आयुक्त - दोनों के बीच वर्ष में एक बार सभी पोस्टों/आउट पोस्टों का निरीक्षण किया जाएगा ।

मु. सु. आ. /उप मु. सु. आ. /उप सु. आ. अपना कार्यक्रम इस प्रकार तैयार करेंगे कि मु. सु. आ. एवं उप सु. आ. द्वारा एक वर्ष में जिन पोस्टों का निरीक्षण किया गया हो, उन्हीं पोस्टों का निरीक्षण अगले वर्ष उप मु. सु. आ. तथा सहायक सुरक्षा आयुक्तों द्वारा किया जाए और विलोमतः किया जाता रहे ।

7. सहायक सुरक्षा आयुक्त तथा निरीक्षक वर्ष में एक बार अपने संबद्ध अधीनस्थों के कार्यों की पूरी तरह से जांच करें तथा इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक आकस्मिक तथा अचानक निरीक्षण करें ।

8. मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे. सु. वि. ब. वर्ष में एक बार सभी बटालियनों की और 25% कम्पनियों का ब्यौरे वार निरीक्षण करेंगे ।

9. उच्च अधिकारियों द्वारा उप सुरक्षा आयुक्त/सहायक सुरक्षा आयुक्त के कार्यालयों का निरीक्षण करने के लिए इस कार्यालय के दिनांक 19.6.91 के पत्र सं. 90 सिक(ई)/पी आर आर/1 के द्वारा जारी फार्मेट का इस्तेमाल किया जाए (अनुबंध-1 के रूप में प्रतिलिपि संलग्न है) । निरीक्षण के फार्मेट को आगे सूचनार्थ हेतु सभी उप सुरक्षा आयुक्तों, सहायक सुरक्षा आयुक्तों तथा चौकियों को परिपत्रित किया जाए ।

10. मुख्य सुरक्षा आयुक्त प्रत्येक वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह तक पूरे वर्ष के अनंतिम दौरों तथा निरीक्षण कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें । वे इस कार्यालय के दिनांक 17.1.90 के पत्रांक सं. 86/सिक(ई)/पी आर आर/6(अनुबंध II के रूप में प्रतिलिपि संलग्न है) द्वारा परिपत्रित प्रोफार्मा में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों एवं निरीक्षणों की अर्धवार्षिक समीक्षा के विवरण भी प्रस्तुत करें । अर्धवार्षिक समीक्षा विवरण प्रत्येक वर्ष की 10 फरवरी तथा 10 अगस्त तक इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए ।

....../-

11. अर्धवार्षिक समीक्षा के अलावा, मुख्य सुरक्षा आयुक्त इस कार्यालय के दिनांक 21.4.92 के पत्र सं. 86/सेफ(ई) (पी आर आर/6 (अनुबंध III के रूप में प्रतिलिपि संलग्न है) द्वारा परिचालित प्रोफार्मा में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गये निरीक्षणों के ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे ।

कृपया पावती दें ।

(जोगिन्दर सिंह)
महानिदेशक/रे. सु. ब.,
रेलवे बोर्ड ।